

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

Phone & Fax:-0141- 2222403/2223239 web:- www.lsgraj.org E-mail ID:-dlbrajasthan@gmail.com

कमांक:एफ(55) पीए/सीई/डीएलवी/डब्ल्यूएस/पीएचई/9695-9703

दिनांक: 26/03/19

स्मरण पत्र-1

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,  
नगर परिषद्/पालिका,  
श्रीगंगानगर, करौली, जैसलमेर, बूंदी, नागौर,  
नाथद्वारा, नोखा एवं चौमूं

विषय:-नगरीय निकायों द्वारा संचालित/संधारित जलप्रदाय योजनाओं हेतु वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में हस्तांतरित राशि से कराये गये पूंजीगत कार्यों एवं अन्य सूचना देने बाबत।

- संदर्भ:-1. वित्त विभाग से प्राप्त पत्रावली की प्रतिलिपी (संलग्न)।  
2. विभागीय पत्रांक 79341-348 दिनांक 15.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग द्वारा प्राप्त पत्रावली के बिंदु सं. 1 के द्वारा विभाग वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के आयोजना मद में हस्तांतरित राशि से कराये गये पूंजीगत कार्यों एवं आयोजना भिन्न मद में भी आवंटित एवं व्यय की गयी राशि का घटकवार विवरण माहा गया था जो कि निदेशालय को उक्त सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना लोटती डाक से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि वित्त विभाग के आक्षेपों की पूर्ति की जा सके।

इसे अतिआवश्यक समझे।

संलग्न:-2 प्रपत्र।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांक:एफ(55) पीए/सीई/डीएलवी/डब्ल्यूएस/पीएचई/9704-713  
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक: 26/03/19

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. क्षेत्रीय उप निदेशक, अजमेर, भरतपुर, धीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।
3. प्रभारी, आई टी प्रकोष्ठ, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)  
मुख्य अभियंता

वित्त विभाग की टिप्पणी निम्नवत है :-

प्रशासनिक विभाग निम्नानुसार सूचना के साथ प्रस्तावित करें एवं पूर्व में दिये गये सुझावों पर टिप्पणी से अवगत करावें-

- (1) विभाग वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में हस्तान्तरित राशि से कराये गये पूंजीगत कार्यों का विवरण प्राप्त कर, वित्त विभाग को अवगत करावे। आगामी राशि उसके बाद ही रिलीज की जावेगी।
- (2) स्थानीय निकायों को मंत्रीमण्डल ज्ञापन दिनांक 24.07.2012 के बिन्दु संख्या 9(अ) एवं 16(V) (7 एवं 9/सी) के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक सहायता राशि प्रदान करने की प्रक्रिया के अनुसार लगातार 5 वर्ष तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः इस परिपेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण उक्त बिन्दुओं के आधार पर किये जाने का सुझाव दिया जाता है।
- (3) इन योजनाओं में प्राप्त राजस्व आय की विगत तथा केबिनेट के निर्णय के अनुसार विनियोजन कार्यक्रम लागू करने एवं पेयजल शुल्क दरों में बढ़ोत्तरी करते हुए पुनर्भरण राशि को कमिक रूप से कम करने के बिन्दु का परीक्षण कर समस्त सूचनाओं के साथ प्रस्ताव भिजवाये जावें।
- (4) वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक निकायों को हस्तान्तरित राशि एवं वास्तविक व्यय राशि की विगत से अवगत करावें।
- (5) प्रशासनिक विभाग की पत्रावली के अनु. 204/एन में अंकित राशि का प्रयोजन/कार्य का विवरण भिजवाने का सुझाव दिया जाता है।
- (6) मंत्रीमण्डल ज्ञापन दिनांक 24.07.2012 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार स्थानीय निकाय को योजना में सुधार, उत्पादन में वृद्धि, वितरण में सुदृढीकरण, नये जलाशयों/पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण आदि पूंजीगत निवेश के कार्य अपने स्तर पर राज्य सभा/लोक सभा सांसद एवं विधायक क्षेत्रीय विकास निधि एवं अन्य संसाधन/ऋण से भी प्रारम्भ कराने का सुझाव दिया जाता है।

यह वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)

08 मार्च, 2019

संयुक्त शारान सचिव  
वित्त (व्यय-3) विभाग

शासन सचिव,  
स्वायत्त शासन विभाग

Pt. 5pk

SIDDHARTH MAHAJAN  
Secretary LSG

DUB

**Format for Details of Capital works (Budget Head 4217)**

**Financial Year**

**Name of ULB**

<b>Sr. No.</b>	<b>Component</b>	<b>Expenditure (Rs)</b>
1	Pipeline	
2	Pump Machinery	
3	Tubewell	
4	Storage reservoirs (GLR/OHSR)	
5	Other	
	<b>Total(Rs)</b>	

नगरीय निकाय का नाम :-

शहरी क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई हेतु आयोजना भिन्न मद में प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण :-

क्र. सं.	वजट मद	वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
		आंवटित राशि	व्यय की गई राशि	आंवटित राशि	व्यय की गई राशि	आंवटित राशि	व्यय की गई राशि	आंवटित राशि	व्यय की गई राशि	आंवटित राशि	व्यय की गई राशि
1.	2217-80-192-(36)-[01]-12 विद्युत प्रभार हेतु व्यय	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	2217-80-192-(36)-[02]-12 वितरण प्रणाली में सुधार हेतु व्यय										
3.	2217-80-192-(36)-[03]-12 अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय										
4.	2217-80-192-(36)-[04]-12 सामायनिक प्रभार हेतु व्यय										
5.	2217-80-192-(36)-[05]-12 बल्क वॉटर सप्लाई के लिए (PAID) को भुगतान पर व्यय योग										